फैक्स/विशेष संदेशवाहक/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/1/ईसीआ/अनु./प्रका./एमसीसी/2021 **दिनांकः 16 मार्च, 2021**

सेवा में,

1. मंत्रिमंडल सचिव,
   भारत सरकार,
   राष्ट्रपति भवन,
   नई दिल्ली।

2. मुख्य सचिवः-

क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;	छ) मिजोरम सरकार, एजवाल;
ख) गुजरात सरकार, गांधीनगर;	ज) नागालैंड सरकार, कोहिमा;
ग) झारखंड सरकार, रांची;	झ) ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर;
घ) कर्नाटक सरकार, बेंगलूरू;	ञ) राजस्थान सरकार, जयपुर;
ङ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;	ट) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
च) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;	ठ) उत्तराखंड सरकार, देहरादून;

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारीः-

क) आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापूडी;	छ) मिजोरम, एजवाल;
ख) गुजरात, गांधीनगर;	ज) नागालैंड, कोहिमा;
ग) झारखंड, रांची;	झ) ओडिशा, भुवनेश्वर;
घ) कर्नाटक, बेंगलूरू;	ञ) राजस्थान, जयपुर;
ङ) मध्य प्रदेश, भोपाल;	ट) तेलंगाना, हैदराबाद;
च) महाराष्ट्र, मुम्बई;	ठ) उत्तराखंड, देहरादून;

विषयः- विभिन्न राज्यों की संसदीय/राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे. नो./28/2021 के तहत विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है:-

राज्य का नाम	**निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या**
आन्ध्र प्रदेश	23-तिरुपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
गुजरात	125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
झारखंड	13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
कर्नाटक	2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 47-बासवकल्याण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 59-मास्की (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
मध्य प्रदेश	55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
महाराष्ट्र	252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
मिजोरम	26-सेरछिप (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
नागालैंड	51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
ओडिशा	110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
राजस्थान	24-सुजानगढ़ (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 175- राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 179-सहाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
तेलंगाना	87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उत्तराखंड	49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा ***दिनांक 29 जून, 2017 के इसके पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस*** **तथा दिनांक 18 जनवरी, 2018 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017 और** ***दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 के पत्र सं. 437/6//विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2019*** (प्रति संलग्न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्यधीन उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है।

3. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(नरेन्द्र एन. बुटोलिया)

वरि. प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस **दिनांक: 29 जून, 2017**

सेवा में,

1. सभी राज्यों एव संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल।

विषय: आदर्श आचार संहिता-अनुदेश-संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अपने पूर्ववर्ती अनुदेशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:-

1. <u>आदर्श आचार संहिता लागू करना</u>

आयोग के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई, दिनांक 26.04.2012 तथा सं. 437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 21.10.2013 में अंतर्विष्ट आयोग के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधानों की सूची दी गई है। ये अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए गए हैं कि <u>यदि निर्वाचन-क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में शामिल है, तो उपर्युक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र के इलाके पर ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, आदर्श आचार संहिता उस (उन)/सभी जिले (लों) पर लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन (नों) होने वाले निर्वाचन-क्षेत्र शामिल हैं।</u>

2. <u>विज्ञापनों का प्रकाशन</u>

आयोग ने दिनांक 25 जून, 2013 को निदेश दिया कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान विज्ञापनों की निर्मुक्ति/प्रकाशन निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) विशिष्ट महत्वपूर्ण अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि, ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसरों के साथ एक ही

समय पर पड़ने वाली तारीखों तक सीमित रहेंगे तथा इन्हें अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन पर किसी मंत्री या अन्य राजनैतिक पदाधिकारियों के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे।

(ii) इस अवधि के दौरान किसी भी तारीख को ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी/प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें उप-निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का कोई विशेष/सुस्पष्ट संदर्भ या संकेत हो।

इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन जिलों में, जहां पर उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं किसी भी नई योजना का विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। [उपर्युक्त उप-पैरा (ii) संशोधित हो गया है]।

3. <u>मंत्रियों के दौरे</u>

किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए अनुदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि:

(i) सभी मंत्री, चाहे वे केन्द्रीय मंत्री हों या राज्यमंत्री, उप-निर्वाचनों की घोषणा के बाद अपने आधिकारिक दौरों को, किसी भी तरीके से, निर्वाचन-कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस/जिन जिले (लों) में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहें हैं और जहां इस कारण से आदर्श आचार संहिता लागू है, उनमें सभी और कोई भी दौरा पूर्णतया निजी प्रकृति का होगा।

(ii) यदि आधिकारिक कार्य से यात्रा करने वाला कोई मंत्री किसी अन्य जिले में सरकारी दौरे पर जाते समय मार्ग में पड़ने वाले ऐसे जिले (जिलों) से गुजरता है, जिसमें उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वह किसी भी राजनैतिक कार्य में भाग नहीं लेगा।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्री या समतुल्य रैंक/हैसियत वाले व्यक्ति सरकारी उद्देश्यों वाली अपनी सरकारी यात्रा को, उस स्थान जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्थान जहां निर्वाचन प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, के लिए मार्ग-निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्पूर्ण यात्रा व्यय, निर्वाचन व्यय के रूप में माना जाएगा। [उपर्युक्त उप पैरा (ii) संशोधित हो गया है]।

4. <u>अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में</u>

ऐसे सभी अधिकारियों, जो राज्य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े हुए हैं, के लिए स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगे। इस नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचन संबंधी

किसी ड्यूटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्थानांतरण नीति के समनुरूप होगी।

5. <u>महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा के संबंध में</u>

उप-निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से रोका जाए जिसका राज्यव्यापी और परिणामत: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव हो।

इस संबंध में सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा एक नेमी कामकाज के रूप में की जा सकती है परन्तु सरकार की उपलब्धि के रूप में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा यथोचित प्रचार-प्रसार करें और अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर.के.श्रीवास्तव)
वरि. प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/एमसीसी/2017/235-270 दिनांक : 18 जनवरी, 2018

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र, राज्य की राजधानी/महानगरों/नगर-निगमों में आता है तो आदर्श आचार संहिता के अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में उपर्युक्त अनुदेश उप-निर्वाचन(नों) के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले संपूर्ण जिले(लों) में लागू होंगे। (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न)

इस संबंध में, राजस्थान में अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आगामी उप-निर्वाचनों के दौरान एमसीसी को पूरे जयपुर में लागू किया जाना था या केवल जयपुर जिले के दूदू विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि जयपुर जिले में राज्य की राजधानी में, नगर-निगम, महानगर तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्र है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और स्पष्ट किया कि जयपुर जिले में सामान्य प्रशासनिक कार्य को अव्यवस्था/व्यवधान से बचाने के लिए एमसीसी को जयपुर जिले के केवल दूदू विधान सभा में ही लागू किया जाएगा।

अत:, अब आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त निदेश राज्य की राजधानी/मेट्रोपोलिटन शहरों/नगर-निगमों वाले क्षेत्रों में देश में भावी सभी उप-निर्वाचनों में लागू होंगे। तद्नुसार, कोई भी जिला, जिसमें निगम/मेट्रो/नगर-निगम अवस्थित हैं, एमसीसी को उस विशेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाले भाग में ही लागू किया जाएगा न कि पूरे जिले में।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रका./एमसीसी/2019 **दिनांकः 14 अक्तूबर, 2019**

सेवा में,

1. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः उप-निर्वाचन के दौरान एमसीसी को लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 29.06.2017 के पत्र सं. 437/6/अनु./2016-सीसीएस के तहत जारी अनुदेशों का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग उप-निर्वाचनों के दौरान एमसीसी लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा वाले विभिन्न अनुरोध प्राप्त करता रहा है, जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछेक मतदान केंद्र अन्य जिले(लों) के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और निदेश दिया है कि पूर्वोक्त पत्र के पैरा-1 में निहित अनुदेश उस जिले को कवर करेंगे, जिसमें उप-निर्वाचन होने वाले निर्वाचन क्षेत्र के सभी या अधिकतम मतदान केंद्र अवस्थित हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदान केंद्रों के 10% से कम मतदान केंद्रों की संख्या वाले जिले(लों) के लिए, उपर्युक्त पत्र के पैरा-1 में शामिल अनुदेशों को उन मतदान केंद्रों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ही लागू किया जाएगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों की तैनाती आदि से संबंधित अन्य अनुदेशों का सभी जिलों में सख्ती से पालन किया जाए, भले ही उसमें स्थित मतदान केंद्रों की संख्या कितनी भी हो।

भवदीय

ह./-
(नरेंद्र एन. बुटोलिया)
प्रधान सचिव